

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 156]	नई दिल्ली <i>,</i> मंगलवार, मार्च 5 <i>,</i> 2019 ⁄फाल्गुन 14 <i>,</i> 1940
No. 156]	NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 5, 2019/ PHALGUNA 14, 1940

इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2019

- सा. का.नि. 176(अ).— केन्द्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूचना प्रौद्योगिकी (प्रमाणकर्ता प्राधिकारी) नियम, 2000 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-
- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूचना प्रौद्योगिकी (प्रमाणकर्ता प्राधिकारी) संशोधन नियम, 2019 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. सूचना प्रौद्योगिकी (प्रमाणकर्ता प्राधिकारी) नियम, 2000 की अनुसूची 4 में, प्ररुप ग के स्थान पर निम्नलिखित प्ररुप रखा जाएगा, अर्थात् :-

1407GI/2019 (1)

"[प्ररुप ग]

फोटो*

पंकज कुमार, अपर सचिव

अंकीय चिह्नक प्रमाणपत्र आवेदक केई-केवाई सी आधारित पहचान सत्यापन के माध्यम से अंकीय चिह्नक प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन प्ररुप

आवेदित प्रमाणपत्र का वर्ग :		व्यक्तिगत	
ई-केवाईसी	:		
नाम	:		
ई-मेल पता	:		
आवासीय पता	:		
मोबाईल फोन नं.	:		
तारीख			
- ई-केवाईसी सेवा संदर्भ सं. द्वारा स	त्यापित	ा: (प्रत्युत्तर कूट)	
टिप्पण 1 यह आवेदक के ई-केट आवेदन प्ररुप है ।	त्राईस <u>ी</u> ः	आधारित इलैक्ट्रॉनिकी अधिप्रमाणन के माध्य	।म से स्वतः सृजित एक इलैक्ट्रॉनिकी
टिप्पण 2 *आज्ञापक स्थानों की उ	उपदर्शित	त करता है'।	
			[फा. सं. 12(10)/2018-सीसीए]

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उप-खंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 789(अ), तारीख, 17 अक्तबूर, 2000 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना सं. सा.का.नि. 783(अ) तारीख 25 अक्तूबर, 2011, सा.का.नि.62(अ), तारीख 27 जनवरी, 2015, सा.का.नि.447(अ), 27 अप्रैल, 2016, सा.का.नि. 902(अ), तारीख 21 नवंबर, 2003, सा.का.नि. 285(अ), तारीख 23 अप्रैल, 2004, सा.का.नि. 535(अ), तारीख 20 अगस्त, 2004, सा.का.नि.245(अ), तारीख 21 अप्रैल, 2005, सा.का.नि. 32(अ), तारीख 18 जनवरी, 2006, सा.का.नि. 566(अ), तारीख 5 अगस्त, 2009 और सा.का.नि. 782(अ), तारीख 25 अक्तूबर, 2011 द्वारा संशोधित किए गए थे।

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY NOTIFICATION

New Delhi, the 01st March, 2019

- **G.S.R. 176(E).**—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Information Technology (Certifying Authorities) Rules, 2000.
- 1. **Short title and Commencement.—(1)** These rules may be called the Information Technology (Certifying Authorities) (Amendment) Rules, 2019.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Information Technology (Certifying Authorities) Rules, 2000, in Schedule IV, for Form C the following Form shall be substituted, namely:—

"[FORM C]

PHOTO*

APPLICATION FORM FOR ISSUE OF DIGITAL SIGNATURE CERTIFICATE THROUGH eKYC BASED IDENTITY VERIFICATION OF DIGITAL SIGNATURE CERTIFICATE APPLICANT

	Class of certificate applied: eKYC No	Individual :	
	Name	:	
	E-mail address	:	
	Residential Address	:	
	Mobile Phone Number	:	
Date			
Authentic	ated by e-KYC services ref. N	o: (response	code)

Note 1.— This is an electronic application form automatically generated through e-KYC based electronic authentication of applicant.

Note 2.— * Denotes mandatory fields ".

[F.No 12(10)/2018-CCA] PANKAJ KUMAR, Addl. Secv.

Note. – The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, and Section 3, Subsection (i), *vide* notification number G.S.R. 789(E), dated the 17th October, 2000, and subsequently amended by notifications numbers G.S.R. 783(E), dated the 25th October, 2011, G.S.R. 62(E), dated the 27th January, 2015, G.S.R. 447 (E), dated the 27th April 2016, G.S.R. 902 (E), dated 21 November, 2003, G.S.R. 285(E), dated 23 April, 2004, G.S.R.535 (E), dated 20 August, 2004, G.S.R. 245 (E), dated 21 April, 2005, G.S.R.32(E), dated 18 January, 2006, G.S.R.566 (E), dated 5 August, 2009 and G.S.R. 782(E), dated 25 October, 2011.